न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 105 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 162

दायर दिनांक :– 20.06.2024 निर्णय दिनांक :– 22.12.2024

1. किसनाराम पुत्र रामचन्द्रराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी, राजस्थान
2. चूखी पत्नी हीराराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. किशनाराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. खींयाराम पुत्र लूम्बाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. बंशीलाल पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. माणकराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. मोहनराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. राजाराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. हजारीराम पुत्र खींयाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. प्रतापाराम पुत्र हरचंदराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. बीरबलराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. भंवरलाल पुत्र प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
13. लेखाराम पुत्र प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
14. समदी पत्नी बिड़दाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
15. सहीराम पुत्र प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
16. ग्राम पंचायत सुरपुरा पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
17. ओमप्रकाश पुत्र हड़मानाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
18. बाबुराम पुत्र हडमानाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
19. बिदामी पत्नी बाबुराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
20. शांति पत्नी हड़मानाराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अ. सं. 3 ता 9
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 141 / 1 रकबा 8.6360 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 2 खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 141 / 3 रकबा 4.7915 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 3 ता 9 व 16 की भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 17.2315 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 10 ता 15 की खातेदारी भूमि 141 / 4 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 17 ता 20 की खातेदारी भूमि 141 / 5 रकबा 17.2234 हैक्टेयर तथा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 350 / 141 रकबा 1.

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

6187 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 351/141 रकबा 15.6856 हैक्टेयर सरहद मौजा श्रीसुरपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है। प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 141/1 रकबा 8.6360 हैक्टेयर भूमि खरीदशुदा भूमि है जो प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.02.1986 को खरीद की और उक्त भूमि पर खरीद के दिन से लेकर आज दिन तक निरन्तर कब्जा व काश्त प्रार्थी का मौके पर चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त खरीदशुदा भूमि के पडोस विक्रय पत्र में दर्शाये गये और इन्ही पडोस अनुसार प्रार्थी की तरमीम राजस्व अभिलेख भू-नक्शा में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा कर दी गई थी जो तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.08.1991 को जारी भू-नक्शा से प्रमाणित है। दिनांक 20.08.1991 को जारी भू-नक्शा में अंकित तरमीम अनुसार ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा रहवासीय ढाणी, पानी का टांका इत्यादि बना रखे है जबकि वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के सेग्रीगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 की भूमि की तरमीम दिनांक 28.08.1991 को जारी नक्शा व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 के कब्जा व काश्त के विपरित कर दी गई जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है। इसलिये उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 की और से इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 10 ता 20 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम श्रीसुरपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 141/1 रकबा 8.6360 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/3 रकबा 4.7915 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 17.2315 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/4 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/5 रकबा 17.2234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350/141 रकबा 1.6187 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 351/141 रकबा 15.6856 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात, तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है।

...फलोदी)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का श्रीसुरपुरा की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम श्रीसुरपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 141/1 रकबा 8.6360 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/3 रकबा 4.7915 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 17.2315 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/4 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141/5 रकबा 17.2234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350/141 रकबा 1.6187 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 351/141 रकबा 15.6856 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)